

12/10/2021

सर्वी श्री शोभागमल छजेड एवं श्री जरेन्द कुमार मेहता ने
उपरिष्ठ लेकर सार्वजनिक पत्र अन्तर्गत आदेश 23 चारा 15।
सी.पी.सी.का संरक्षित होने से पत्रावली को सीगट से हलक
की गई। सार्वजनिक पत्र में वर्णित पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त असाजियत
के सार्वजनिक में समझौता हो जाने से संकरण में कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं। संकरण को विज्ञो कर न्यायालय द्वारा जारी स्वयं
अद्विष्टापर कार्यवाही को समाप्त करना चाहते हैं। इस पर पत्रावली
का एवं सार्वजनिक पत्र का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन
सर्वी का सार्वजनिक पत्र अन्तर्गत आदेश 23 चारा 15। (सी.पी.सी.)
का स्वीकार किया जाता है। एवं सर्वी का सार्वजनिक पत्र को
विज्ञो की अनुमति प्रदान की जाती है। एवं न्यायालय द्वारा
द्वारा पूर्व में सार्वजनिक स्वयं अद्विष्टा दिनांक 01.9.2021 को
अपवाद किया जाता है। पत्रावली फेंसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
इंगला

